आदेश की क्रमांक एवं तिथि 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही 3
19/04/22	**उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।** आर0एम0ए0 वाद संख्या–07/2021–22 नन्द किशोर तिवारी –बनाम– जय प्रकाश केशरी वगै0 **अपीलार्थी** 1. नन्द किशोर तिवारी, पे0–स्व0 शिवदत्त तिवारी, सा0–तालबन्ना, थाना–साहेबगंज (नगर), जिला–साहेबगंज। **उत्तरवादी** 1. जय प्रकाश केशरी, 2. श्याम प्रकाश केशरी, 3. किसान केशरी, 4. महेन्द्र केशरी, 5. पारस केशरी, 6. मनोज केशरी, सभी पे0–स्व0 राम एकबाल केशरी, सा0–तालबन्ना, थाना–साहेबगंज (नगर), जिला–साहेबगंज। **–: आदेश :–** प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी नन्द किशोर तिवारी, पे0–स्व0 शिवदत्त तिवारी के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज के नामांतरण अपील वाद सं0 14/2012–13 में दिनांक 25.02.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया। अवलोकनोपरान्त वाद को अंगीकृत करते हुए उत्तरवादी को नोटिस निर्गत कर सूचना दी गई एवं निम्न न्यायालय से अभिलेख की माँग की गई। नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त एवं उत्तरवादी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज के द्वारा मूल अभिलेख उपलब्ध कराया गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–बाजार ककरोटिया जमाबंदी नं0–48 कुल रकवा 00–04–19 धूर भूमि खतियान में कलावती देवी, पति–स्व0 शिवदत्त तिवारी के नाम से दर्ज है, जो अपीलार्थी की माँ के नाम से दर्ज है। उत्तरवादी को उक्त भूमि के अंश रकवा 00–01–00 (एक कट्ठा) जमीन पर 1000 (एक हजार) रूपये कर्ज लेने के कारण केवाला संख्या–138 दिनांक 09.04.1973 को निबंधित कर दिया गया शर्त के अनुसार उत्तरवादी के पिता को दो महिने के अन्दर कर्ज का रूपया 1000 (एक हजार) वापस कर दिया, परन्तु उनके द्वारा भूमि को पुनः अपीलार्थी को निबंधित केवाला द्वारा वापस नहीं किया। आगे उनका यह भी कहना है कि उत्तरवादीगण द्वारा विक्रय केवाला के आधार पर अंचल कार्यालय, साहेबगंज से अपने नाम से नामांतरण करा दिये। जबकि अपीलार्थी से कोई पूछताछ नहीं किया। उस नामांतरण के विरूद्ध विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज के न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा नामांतरण अपील वाद दायर किये, जिसका नामांतरण अपील वाद संख्या 14/2012–13 है। आगे उन्होंने यह भी अपने तर्क में कहा कि विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज ने उत्तरवादी को नोटिस उपरान्त सुनवाई कर अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिये।	

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	2 जबकि उक्त भूमि पर अपीलार्थी के ही दखल कब्जा है। उन्होंने अंचल अधिकारी, साहेबगंज के नामांतरण वाद संख्या 470/2011-12 एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, साहेबगंज के नामांतरण अपील वाद संख्या 14/2012-13 को अपास्त (Set-aside) कर अपने पक्ष में आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। जवाब में उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा-बाजार ककरोटिया के जमाबंदी नं0-48 के रकवा 00-01-00 (एक कट्‌ठा) भूमि अपीलार्थी उनके भाई एवं उनकी माँ सभी मिलकर केवाला सं0-138 दिनांक 09.04.1973 को खरीद कर उत्तरवादी के पिता प्रश्नगत भूमि के दखल कब्जा में है एवं उत्तरवादी के दखल कब्जा के आधार पर ही अंचल अधिकारी, साहेबगंज द्वारा राजस्व उपनिरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात नामांतरण की कार्रवाई किये, जो उचित है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित कागजात, नगर पालिका रसीद एवं क्रि0मि0 वाद सं0-51/2016 में पारित आदेश की प्रति निम्न न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के नामांतरण अपील वाद संख्या 14/2012-13 (नन्द किशोर तिवारी -बनाम- जय प्रकाश केशरी वगै0) से संबंधित वाद में दाखिल की गई है। आगे उत्तरवादी द्वारा कहा गया है कि सभी दाखिल कागजातों के अवलोकनोपरान्त भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज के द्वारा नामांतरण अपील वाद संख्या 14/2012-13 में दिनांक 25.02.2021 को न्यायोचित आदेश पारित कर अंचल अधिकारी, साहेबगंज के नामांतरण वाद संख्या 470/2011-12 को यथावत (Upheld) रखा गया, जो उचित है। उन्होंने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज के आदेश को यथावत रखने का अनुरोध किया गया है। अतएव उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के द्वारा मौजा-बाजार ककरोटिया जमाबंदी नं0-48 रकवा 00-01-00 (एक कट्‌ठा) भूमि निबंधित केवाला संख्या 138 दिनांक 09.04.1973 को उत्तरवादी के पिता के पास बिक्री किये है। बिक्री केवाला के आधार पर अंचल अधिकारी, साहेबगंज द्वारा नामांतरण की स्वीकृति दी गई, जो उचित प्रतीत होता है, जिसे अपास्त (Set-aside) करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों पर विचारोपरान्त भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, साहेबगंज के नामांतरण अपील वाद संख्या 14/2012-13 दिनांक 25.02.2021 को पारित आदेश को यथावत (Upheld) रखा जाता है। पारित आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें। निम्न न्यायालय के अभिलेख को वापस करें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 19/5/22 उपायुक्त, साहेबगंज। 19/5/22 उपायुक्त, साहेबगंज।

ज्ञापांक 299/डी0सी0
23.08.2022

Seen on behalf of Respondent 23-07-22

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2025.01.15 14:26:38 +05:30
Location: 192.168.0.141

Scanned with OKEN Scanner